श्रृंखला न्यायालय—जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, विजयराघवगढ, कटनी, मध्यप्रदेश
(पीठासीन अधिकारी— इरशाद अहमद)

सिविल अपील कं.—02/2020
फाइलिंग नंबर—02/2022
सी0एन0आर0नं0 MP2101-002485-2022
फाइलिंग दिनांक 30.09.2022

अपीलार्थी/प्रतिवादी क0—2	राजेन्द्र प्रसाद तिवारी वल्द स्व0 श्री निरंजन प्रसाद तिवारी, उम्र—लग. 65 वर्ष, निवासी ग्राम खिरवा, हाल निवासी ग्राम झिरिया, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री आर0के0 तिवारी अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण	**1—**जयमंतरी बाई पत्नी स्वामीदीन चौधरी, उम्र—40 वर्ष, **2—**रामराज चौधरी पिता शिवराम चौधरी, उम्र—लग. 54 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम खिरवा नंबर—02, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी म0प्र0। **3—**म.प्र. शासन द्वारा—श्रीमान कलेक्टर कटनी जिला कटनी म.प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा प्रत्यर्थी क0—01	श्री देवाशीष श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रतिनिधित्व द्वारा प्रत्यर्थी क0—02	पूर्व से एकपक्षीय।
प्रतिनिधित्व द्वारा प्रत्यर्थी क0—03	अपर लोक अभियोज श्री हिमांशु उरमलिया।

23.06.2023

अपीलार्थी द्वारा श्री आर0के0 तिवारी अधिवक्ता उप0।

प्रत्यर्थी क0—01 द्वारा श्री देवाशीष श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क0—02 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रत्यर्थी क0—03 द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री हिमांशु उरमलिया उपस्थित।

प्रकरण पूर्व में अंतिम तर्क हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा निवेदन किया गया कि वादी जयमंतरी बाई द्वारा अपने दावे में **खसरा नंबर—351/1** के संबंध में अनुतोष चाहा था और प्रतिवादी/अपीलार्थी ने भी अपने जवाबदावे में उक्त खसरा नंबर की भूमि के संबंध में ही प्रतिरक्षा प्रस्तुत की थी। संपूर्ण निर्णय उक्त खसरा नंबर से ही संबंधित है परंतु संपूर्ण निर्णय में खसरा नंबर 351/1 के स्थान पर 391/1 लेख हो गया है। इसी खसरा नंबर के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित हो गई है, जिस कारण से संपूर्ण निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण हो गई है। अतः उक्त निर्णय एवं डिक्री को

खसरा नंबर की त्रुटि के आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किए जाने का निवेदन किया गया है।

मूल प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त अपील अपीलार्थी/प्रति0क0–02 न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–02 विजयराघवगढ़, श्री सचिन साहू द्वारा दी0प्र0क0–26/2016(11अ/2016) पक्षकार जयमंतरी बाई बनाम रामराज वगैरह में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 29.11.2019 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी अधिवक्ता श्री आर0के0 तिवारी द्वारा पृथक से यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी ने अपील में आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पत्र के माध्यम से जयमंतरी के विक्रय पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की है। उक्त संबंध में भी आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया गया है। चूंकि प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किए जाने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त विक्रय पत्र की प्रति के संबंध में अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विचारण न्यायालय अपीलार्थी द्वारा जयमंतरी के विक्रय पत्र को प्रस्तुत किए जाने पर गुणदोष के आधार पर इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए खसरा नंबर की त्रुटि को दृष्टिगत रखकर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री उक्त सीमा तक अपास्त की जाती है।

उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष **दिनांक 12.07.2023** को उपस्थित रहें और उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करें।

अभिभाषक शुल्क निर्धारित होने पर नियमानुसार देय होगा।

निर्णय की एक प्रतिलिपि के साथ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब विधिवत् वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–
(इरशाद अहमद)
जिला न्यायाधीश
श्रृंखला न्यायालय विजयराघवगढ़
कटनी (म0प्र0)

IRSHAD AHAMD
Digitally signed by IRSHAD AHAMD
Date: 2023.06.23 17:51:14 +0000

मेरे द्वारा टंकित किया गया।

स्टेनोग्राफर–मुश्ताक अहमद